

10900/19



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

15864

सत्यमेव जयते

Certificate No. : IN-UP06135124067965R  
Certificate Issued Date : 29-May-2019 02:28 PM  
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ SAROJINI NAGAR/ UP-LKN  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0107309402306104R  
Purchased by : NGK INFRAVENTURES PVT LTD  
Description of Document : Article 23 Conveyance  
Property Description : KHASRA  
NO.1250,1257,1260,1264KA,1271,1275,1276,1277KA,1578,VILL-  
PURSENI,TEH-MOHANLAL GANJ,LKO  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : RAMENDRA KUMAR SINGH  
Second Party : NGK INFRAVENTURES PVT LTD  
Stamp Duty Paid By : NGK INFRAVENTURES PVT LTD  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 30,00,500  
(Thirty Lakh Five Hundred only)



STAMP PAPER USED

Sub Registrar (Mohanlalganj)  
Lucknow U.P.

Please write or type below this line-----



बेनामा ले०प०स० 10900/19  
किया गया स्टाम्प 1200000 + 3000500/-  
ई०बि०स० 15873/18  
दिनांक 23/8/19 को समायोजित  
किया गया

उप निबन्धक  
मोहनलालगंज (लखनऊ)  
3-6-19

TQ 0008418216

Statutory Alert:

1. The authentication of this Stamp Certificate should be verified at [www.shCILstamp.com](http://www.shCILstamp.com). Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of ensuring the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



विक्रय मूल्य	: 6,00,00,000 /-रु०
मालियत	: 3,29,00,000 /-रु०
पूर्व स्टाम्प	: 12,00,000 /-रु०
वर्तमान स्टाम्प	: 30,00,500 /-रु०
कुल स्टाम्प	: 42,00,500 /-रु०
दर प्रति हे०	: 88,00,000 /-रु०

{विक्रीत आराजी आबादी के किनारे स्थित है।}  
विक्रेता अनुसूचित जाति व क्रेता गैरअनुसूचित जाति का सदस्य है, सक्षम अधिकारी द्वारा विक्रय अनुमति प्राप्त है।

मूल्यांकन सूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र

### लेखपत्र का विवरण-विक्रय पत्र

1-सम्पत्ति का प्रकार	कृषि भूमि
2- ग्राम	पुरसेनी
3-परगना	मोहनलालगंज
4-विक्रीत सम्पत्ति का विवरण	गाटा संख्या 1250/0.126हे०, 1257/0.152हे०, 1260/0.228हे०, 1264क/27.401हे०, 1271/0.278हे०, 1275/1.138हे०, 1276/0.126हे०, 1277क/0.021हे० व 1578/0.379हे० कुल 9 किता रकबा 29.849हे० मे से रकबा 3.731हे० विक्रेता का सम्पूर्ण अंश विक्रय किया गया।

*Ising*

*Infra Ventures*  
Lucknow



- 5-विक्रीत कुल क्षेत्रफल 3.731हे0  
 6-राष्ट्रीय मार्ग से दूरी 01 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।  
 7-प्रतिफल की धनराशि 6,00,00,000/-[छः करोड़ रुपया] भुगतान का विवरण आगे दिया गया है।

### भूमि की चौहददी

गाटा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1250	1249	1264	1249	1249
1257	1254	1159	1256	1264
1260	1264, 1159	1273	1273	1273
1264क	1264	1264	1259 आदि	1264
1271	1264	1264	1264	1264
1275	1264	1119	1121	चकमार्ग
1276	1264	1119	1275	1267
1277क	1279, 1264	1119	1276	1279
1578	1279	1279	1264	1279

प्रथमपक्ष की संख्या-1/विक्रेता	द्वितीयपक्ष की संख्या-1/क्रेता
रामेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी बी-1/81, सेक्टर-डी, एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ।	एन.जी.के. इन्फावेन्चर प्रा०लि० द्वारा निदेशक गौरवदीप सिंह पुत्र गुरुबचन सिंह कार्यालय पता सेक्टर-11बी निकट पानी की टंकी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ निवासी बरौली खलीलाबाद, पोस्ट उतरठिया, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ, उ०प्र०।
मो० नं० 9839054432	मो० नं० 9935541056
<b>Pan No. AIZPS1754J</b>	<b>Pan No. AAECN8857F</b>

*Handwritten signature*





जो कि कृषि भूमि खसरा संख्या-रकबा उपरोक्त स्थित ग्राम पुरसेनी परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ की है, जिसके प्रथमपक्ष/विक्रेता मालिक व काबिज है। भूमि पर पेड़, बोरिंग व इमारत आदि नहीं है विक्रय शुदा आराजी लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ की किसी भी योजना में अधिगृहित नहीं है तथा न ही अधिगृहण हेतु प्रस्तावित है। जो आज तक हर प्रकार के विवादो, भारो, रेहन, बन्धक, कुर्की, जमानत हिबा आदि से पूर्णतया बरी व पाक साफ है। विक्रीत भूमि का इकरारनामा विक्रेता द्वारा पूर्व में क्रेता के हक मे निष्पादित किया जा चुका है जिसके सम्बन्धित दस्तावेज उपनिबन्धक कार्यालय मोहनलालगंज लखनऊ में दिनांक 23.08.2018 को बही सं०-01, जिल्द सं०-9507 पृष्ठ सं०-155 से 168 क्रमांक 15873 पर पंजीकृत है जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेता को प्राप्त है। अतः प्रथमपक्ष/विक्रेता ने अपनी राजी खुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरूरत होशो हवास में उपरोक्त वर्णित भूमि को बिलएवज मुबलिग 6,00,00,000/- [छः करोड़ रूपया] मे द्वितीयपक्ष/क्रेता के हक में विक्रय कर सम्पूर्ण धन प्राप्त कर कब्जा व दखल मालिकाना अपने समान क्रेता को करादिया। आज की तारीख के बाद से विक्रेता या उनके किसी वारिसान कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में द्वितीयपक्ष/क्रेता से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बयनामा के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा, और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग द्वितीयपक्ष/क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जाये या कब्जा न मिले, मिल्कियत या हकीयत प्रथमपक्ष/विक्रेता की करार न पायी जाय या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतो में द्वितीयपक्ष/क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा खर्चा व नुकसान सहित प्रथमपक्ष/विक्रेता व उनके वारिसान व कायम मुकाम की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे,



प्रथमपक्ष/विक्रेता उपरोक्त को कोई मुकाम उज्र का न होगा, अब आज की तारीख से द्वितीयपक्ष/क्रेता को अधिकार होगा कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अपने नाम कराये प्रथमपक्ष/विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी। विक्रीत भूमि स्थित ग्राम पुरसेनी परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ।

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण	दर प्रति हे०	मूल्यांकन
गाटा संख्या 1250/0.126हे०, 1257/0.152हे०, 1260/0.228हे०, 1264क/27.401हे०, 1271/0.278हे०, 1275/1.138हे०, 1276/0.126हे०, 1277क/0.021 हे० व 1578/0.379हे० कुल 9 किता रकबा 29.849हे० मे से रकबा 3.731हे० विक्रेता का सम्पूर्ण अंश विक्रय किया गया।	88,00,000/-	3,29,00,000/-

विक्रय की गई भूमि मूल्यांकन सूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत है 50 मीटर परिधि में आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान हैं। राष्ट्रीय/जनपदीय मार्ग के किनारे नहीं है, सम्पर्क मार्ग के किनारे स्थित है। विक्रेता अनुसूचित जाति व क्रेता गैरअनुसूचित जाति का सदस्य है, न्यायालय अपर जिलाधिकारी (ट्रांस गोमती)/अपर कलेक्टर लखनऊ द्वारा वाद संख्या डी-201810460013545 व वाद संख्या डी-201810460013548 रामेन्द्र कुमार सिंह बनाम सरकार आदेश दिनांक 31.05.2019 धारा 98(1) उ०प्र०रा०सं० 2006 के अन्तर्गत विक्रय अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। विक्रीत भूमि विक्रेता की क्रयशुदा सम्पत्ति है, राजस्व अभिलेखों में विक्रेता का नाम अंकित है। विक्रीत रकबे पर कृषि कार्य किया जा रहा है, मौके पर गेहूँ की फसल थी जिसे काटा जा चुका है। लगान उच्चतम 12-50 प्रतिबीधा है। चूँकि विक्रीत भूमि का विक्रय मूल्य मालियत से अधिक है इसलिए नियमानुसार अधिकतम विक्रय मूल्य पर स्टैम्प शुल्क निश्चित दर से दिया गया है। पत्र व्यवहार का पता उपरोक्त है फोटो गवाहान की शिनाख्त पर प्रमाणित है। पक्षकार द्वारा बताये गये तथ्यों व उपलब्ध







कराये गये अभिलेखों के आधार पर विक्रय पत्र तैयार किया गया किसी भी त्रुटि के लिए पक्षकार स्वयं जिम्मेदार है, टाईपकर्ता व मसविदाकर्ता की कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। विक्रेता को रामेन्द्र कुमार सिंह व पररामेन्द्र कुमार सिंह दोनों ही नामों से जाना व पहचाना जाता है जो कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति/विक्रेता के हैं।

### भुगतान का विवरण

भुगतान का प्रकार	धनराशि	दिनांक	बैंक का नाम
चेक सं० 501360	25,00,000/-	25.04.2018	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक स्नेहनगर।
डी०डी० सं० 507810	1,50,00,000/-	18.01.2019	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक स्नेहनगर।
डी०डी० सं० 504938	40,00,000/-	31.05.2019	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक स्नेहनगर।
डी०डी० सं० 504939	40,00,000/-	31.05.2019	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक स्नेहनगर।
डी०डी० सं० 504940	40,00,000/-	31.05.2019	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक स्नेहनगर।
डी०डी० सं० 504941	40,00,000/-	31.05.2019	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक स्नेहनगर।
डी०डी० सं० 504942	40,00,000/-	31.05.2019	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक स्नेहनगर।
RTGS ICICR52019053100799187	45,00,000/-	31.05.2019	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक स्नेहनगर।
RTGS ICICR52019053100797104	45,00,000/-	31.05.2019	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक स्नेहनगर।
RTGS ICICR52019053100798884	45,00,000/-	31.05.2019	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक स्नेहनगर।
RTGS ICICR52019053100798489	45,00,000/-	31.05.2019	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक स्नेहनगर।
RTGS ICICR52019053100797999	39,00,000/-	31.05.2019	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक स्नेहनगर।
टीडीएस चालान सं० 280	6,00,000/-	30.05.2019	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक स्नेहनगर।

क्रेता के पैन AAECN8857F द्वारा दी गई विक्रय मूल्य की धनराशि 6,00,00,000/-रु० का टी०डी०एस० 6,00,000/-रु० चालान संख्या 280 दिनांक 30.05.2019 के माध्यम से क्रेता द्वारा विक्रेता के पैन AIZPS1754J अदा किया जा चुका है।

*Sing*



आवेदन सं०: 201900822014005

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 10900

वर्ष: 2019

प्रतिफल - 100000000 स्टाम्प शुल्क - 3000500 बाजारी मूल्य - 329000000 पंजीकरण शुल्क - 200000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 200600

श्री एन०जी०के० इन्फ्राटेन्वर प्रा०लि० द्वारा  
गौरवदीप सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
पुत्र श्री गुरुद्वारा सिंह  
अवरधर, अन्य  
निवासी: कार्यालय पता से० 11बी, निकट पानी की टंकी, वृन्दावन योजना रायवरेली रोड  
लखनऊ



श्री एन०जी०के० इन्फ्राटेन्वर प्रा०लि० द्वारा

गौरवदीप सिंह अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 03/06/2019 एवं  
03:09:13 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

शालिनी अवरधी  
उप निबंधक: मोहनलाल  
लखनऊ  
03/06/2019

अशोक कुमार गुप्ता  
निबंधक लिपिक



अतएव यह विक्रय पत्र अपनी स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर दबाव या नाजायज आग्रह के पूर्ण होशो हवास में लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक : 03.06.2019  
गवाहान

विक्रेता



*Mukul Varma*  
{1} मुकुल वर्मा पुत्र मुकेश कुमार वर्मा  
नि० 569/32के/4, बरगवाँ, कृष्णा नगर,  
लखनऊ।  
मो०नं० 8177000000

*Singh*



*Mukul Varma*

*Mohit*



{2} अभिषेक कुमार पाल पुत्र सुखराम पाल  
नि० ग्राम मोहारीकला, पो० मुहारीखुर्द,  
तह० मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।  
मो०नं० 8887678793

क्रेता



टाईपकर्ता  
*Ankur*  
{अंकुर मिश्रा}  
तह० मोहनलालगंज, लखनऊ।

मसविदाकर्ता  
*Anand*  
{आनन्द कुमार श्रीवास्तव}  
एडवोकेट  
तह० मोहनलालगंज, लखनऊ।

आवेदन सं०: 201900822014005

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 10900

वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री रामेन्द्र कुमार सिंह, पुत्र श्री रामेश्वर दयाल  
निवासी: बी-1/81 सेक्टर डी एल०डी०ए० कालोनी कानपुर रोड  
लखनऊ।  
व्यवसाय: अन्य  
क्रेता: 1




श्री एन०जी०के० इन्फ्रावेन्चर प्रा०लि० के द्वारा गौरवदीप सिंह,  
पुत्र श्री गुरुबचन सिंह  
निवासी: कार्यालय पता से०-11बी, गिफ्ट पानी की टंकी,  
वृन्दावन योजना रायबरेली रोड लखनऊ।  
व्यवसाय: अन्य  
ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान  
पहचानकर्ता: 1



श्री मुकुल वर्मा पुत्र श्री मुकेश कुमार वर्मा  
निवासी: 549/32के4 बरगावों कृष्णा नगर, लखनऊ।  
व्यवसाय: अन्य  
पहचानकर्ता: 2



श्री अभिषेक कुमार पांडे, पुत्र श्री सुखराम पांडे  
निवासी: ग्राम मोहरीकला पोस्ट मोहरीसुंद, तहसील  
मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।  
व्यवसाय: अन्य




ने की। प्रत्यक्ष भद्र राक्षियों के निशान अंगूठे निष्पादनकार लिए  
गए है।  
टिप्पणी:

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

शालिनी अवस्थी  
निबंधक मोहनलालगंज  
लखनऊ

अशोक कुमार गुप्ता  
निबंधक लिपिक



नजरी नक्शा भूमि विक्रीत की 200मी० की त्रिज्या में स्थित  
सम्पत्तियों का

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण :- गाटा संख्या 1250/0.126हे०, 1257/0.152हे०, 1260/0.228हे०, 1264क/27.401हे०, 1271/0.278 हे०, 1275/1.138हे०, 1276/0.126हे०, 1277क/0.021हे० व 1578/0.379हे० कुल 9 किता रकबा 29.849हे० मे से रकबा 3.731हे० विक्रेता का सम्पूर्ण अंश विक्रय किया गया। स्थित **ग्राम पुरसेनी** परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ।


विक्रेता :- रामेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी बी-1/81, सेक्टर-डी, एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ।

क्रेता :- एन.जी.के. इन्फ्रावेन्चर प्रा०लि० द्वारा निदेशक गौरवदीप सिंह पुत्र गुरुबचन सिंह कार्यालय पता सेक्टर-11बी निकट पानी की टंकी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ निवासी बरौली खलीलाबाद, पोस्ट उत्तरठिया, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ, उ०प्र०।

**भूमि की चौहद्दी**

गाटा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1250	1249	1264	1249	1249
1257	1254	1159	1256	1264
1260	1264, 1159	1273	1273	1273
1264क	1264	1264	1259 आदि	1264
1271	1264	1264	1264	1264
1275	1264	1119	1121	चकमार्ग
1276	1264	1119	1275	1267
1277क	1279, 1264	1119	1276	1279
1578	1279	1279	1264	1279


ह० विक्रेता



ह० क्रेता




मसविदाकर्ता

  
आनन्द कुमार श्रीवास्तव  
एडवोकेट

आवेदन सं०: 201900822014005

वही संख्या 1 जिल्द संख्या 10441 के पृष्ठ 139 से 154 तक क्रमांक 10900 पर दिनांक 03/06/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
शालिनी अवस्थी  
उप निबंधक : मोहनलालगंज  
लखनऊ  
03/06/2019




**भारत सरकार**  
 Government of India


**रामेंद्र कुमार सिंह**  
 Ramendra Kumar Singh  
 Sex: M/DOB: 23/06/1972  
 Type: MALE




**8945 1174 7319**

**मेरा आधार, मेरी पहचान**



**8945 1174 7319**





User Name: 226012  
 L O A Category: Unknown  
 Address: S/O Ramendra Singh, B-15, Sector-C,  
 Indraprastha, Delhi - 110012  
 Date of Birth: 23/06/1972  
 Sex: M/DOB: 23/06/1972  
 Type: MALE

Government of India



आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT  
RAMENDRA KUMAR SINGH  
RAMESHWAR DAYAL  
23/06/1972  
Permanent Account Number  
AIZPS1754J  
Signature

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA



*R Singh*





भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



गौरव दीप सिंह  
Gaurav Deep Singh

जन्म वर्ष / Year of Birth : 1987

पुरुष / Male



5938 1769 7332

आधार — आम आदमी का अधिकार



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता: S/O गुरुबचन सिंह, एन.सी.बी  
सिंगार नगर, सिंगार नगर बारात घर,  
आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश,  
226005

Address: S/O Gurubachan Singh,  
n.c.b singar nagar, singar nagar  
barat ghar, Alambagh, Alambagh,  
Lucknow, Uttar Pradesh, 226005



1947  
1800 180 1947

help@uidai.gov.in

www  
www.uidai.gov.in

P.O. Box No.1947,  
Bengaluru-560 001



आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

N.G.K. INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

12/03/2015

AAECN8857F

12/03/2015

*J. D. Singh*  
*Surinder Singh*



UNION OF INDIA Driving Licence

UP32 20060004329

UP NT

Date of Issue: 24/05/2006

Valid Until: 23/05/2026

Date of Birth: 26/10/1987

Sex: Unknown

Name: MUKUL VERMA

Relationship: Son / Daughter / Wife of

MUKESH KUMAR VERMA



*Mukul Verma*  
*9695512345*

*Mukul Verma*

UP32 20060004329

UP040487201

LMV 24/05/2006

MCWG 24/05/2006

UP

Form 7 (Rule 16(2))

Address: 569/32 KA/4 BARGAWA KRISHNA NAGAR LUCKNOW

Holder's Signature

Issuing Authority Sign Lucknow





भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारत सरकार  
Unique Identification Authority of India  
Government of India


नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 2017/78721/59773

To  
अभिषेक कुमार पाल  
Abhishek Kumar Pal  
S/O: Sukhram Pal  
Mohari kala  
Mohari Khurd  
Lucknow Uttar Pradesh - 227305  
9169763252

Download Date: 27/04/2018

Generation Date: 24/09/2017

Signature Not Verified



QR Code with Photograph

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

8835 2266 5050

VID : 9199 1009 9299 6539

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार  
Government of India



अभिषेक कुमार पाल  
Abhishek Kumar Pal  
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1998  
पुरुष/ MALE

8835 2266 5050

VID : 9199 1009 9299 6539

मेरा आधार, मेरी पहचान



Government of India



सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन द्वारा प्राप्त करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

**INFORMATION**

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.
- This is electronically generated letter.

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार भविष्य में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा।
- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar will be helpful in availing Government and Non-Government services in future.

अभिषेक



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
Unique Identification Authority of India

पता:  
समाधि, सुखराम पाल, मोहरी कला, मोहरी खुर्द, लखनऊ,  
उत्तर प्रदेश - 227305

Address:  
S/O: Sukhram Pal, mohari kala, Mohari  
Khurd, Lucknow,  
Uttar Pradesh - 227305



QR Code with Photograph

8835 2266 5050

VID : 9199 1009 9299 6539

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in



न्यायालय अपर जिलाधिकारी (ट्रांस गोमती)/अपर कलेक्टर, लखनऊ

वाद संख्या डी-201810460013545  
रामेन्द्र कुमार सिंह बनाम उ०प्र०सरकार  
अन्तर्गत धारा-98(1) उ०प्र०राजस्व संहिता।

आदेश

श्री रामेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी बी-1/81, सेक्टर डी, एल.डी.ए. कालोनी कानपुर रोड जिला लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि अन्य भूमि कय करने हेतु विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र उ०प्र०राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर०सी०प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जॉच उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जॉचोपरान्त आख्या प्राप्त होने पर जिलाधिकारी/कलेक्टर, लखनऊ के न्यायालय में वाद संस्थित होकर इस न्यायालय में गुणदोष के आधार पर निस्तारण करने हेतु स्थानान्तरित किया गया।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। इस संबंध में उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से आख्या संस्तुति सहित प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ ने अपनी जॉच आख्या में अवगत कराया है कि विक्रीत भूमि का जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार बाजारू मूल्य रू० 3,01,40,000/- (तीन करोड एक लाख चालिस हजार रुपये मात्र) होती है, जिसकी प्रतिफल की धनराशि रू० 5,50,00,000/- अंकित की गयी है। विक्रेता द्वारा प्रश्नगत विक्रीत भूमि की प्रतिफल धनराशि रू० 5,50,00,000/- क्रेता से प्राप्त किए जाने और क्रेता द्वारा प्रश्नगत भूमि का रू० 5,50,00,000/- प्रतिफल की धनराशि विक्रेता को भुगतान किए जाने की बात अपने-अपने बयान में भी पुष्टि की है। विक्रेता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बयान में यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि रू० 5,50,00,000/- रुपये में विक्रय कर रहा है, जिसकी पुष्टि उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या में भी की गयी है। विक्रेता द्वारा अन्यत्र भूमि कय किए जाने का अनुबन्ध पत्र पत्रावली में संलग्न किया है।

उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या एवं उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा- 98(1)ग व उ०प्र० राजस्व संहिता 2016 के नियम 99(8)ग व ड के अधीन श्री रामेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी बी-1/81, सेक्टर डी, एल.डी.ए. कालोनी कानपुर रोड जिला लखनऊ को ग्राम पुरसेनी परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 1264क रकबा 27.401हे० का 1/8 भाग रकबा 3.425हे० भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति एन.जी.के. इन्फावेन्चर प्रा.लि. द्वारा निदेशक गौरवदीप सिंह पुत्र गुरुबचन सिंह कार्यालय पता सेक्टर 11बी, निकट पानी की टंकी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ, निवासी बरौली, खलीलाबाद, पोस्ट उत्तरठिया, परगना बिजनौर, तहसील शरोजनीनगर, जिला लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व /कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो तत्कम में यह अनुमति स्वतः



1. विकीत भूमि के स्वत्व / कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो तत्कम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्ताव-8(ड) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में राक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार उ०प्र० राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंकमणीय श्रेणी संकमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।
4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।  
इस आदेश की प्रति आवेदक श्री रामेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी बी-1/81 सेक्टर डी, एल.डी.ए. कालोनी, जिला लखनऊ/तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ/उपनिबंधक तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

(अनिल कुमार)

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/  
अपर कलेक्टर, लखनऊ।

21.12.2018

आज दिनांक 21.12.2018 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उदघोषित किया गया।



34/12/18  
अपर जिलाधिकारी (ट्रांस गोमती)

21/12/2018

अपर जिलाधिकारी (ट्रांस गोमती)  
लखनऊ

(अनिल कुमार)

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/  
अपर कलेक्टर, लखनऊ।

21.12.2018



न्यायालय अपर जिलाधिकारी (ट्रांस गोमती) / अपर कलेक्टर, लखनऊ


वाद संख्या डी-201810460013548  
रामेन्द्र कुमार सिंह बनाम उ०प्र० सरकार  
अन्तर्गत धारा-98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता।

आदेश

श्री रामेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी बी-1/81 सेक्टर डी, एल.डी.ए. कालोनी, जिला लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि भवन निर्माण एवं भूमि कय करने हेतु विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आ०००० प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या प्राप्त होने पर जिलाधिकारी/कलेक्टर, लखनऊ के न्यायालय में वाद संस्थित होकर इस न्यायालय में गुणदोष के आधार पर निस्तारण करने हेतु स्थानान्तरित किया गया।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। इस संबंध में उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से आख्या संस्तुति सहित प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ ने अपनी जाँच आख्या में अवगत कराया है कि विक्रीत भूमि का जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार बाजार मूल्य रु० 26,92,800/- (छब्बीस लाख बान्नेवें हजार आठ सौ रुपये मात्र) होती है, जिसकी प्रतिफल की धनराशि रु० 50,00,000/- अंकित की गयी है। विक्रेता द्वारा प्रश्नगत विक्रीत भूमि की प्रतिफल धनराशि रु० 50,00,000/- केता से प्राप्त किए जाने और केता द्वारा प्रश्नगत भूमि का रु० 50,00,000/- प्रतिफल की धनराशि विक्रेता को भुगतान किए जाने की बात अपने-अपने बयान में भी पुष्टि की है। विक्रेता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बयान में यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि रु० 50,00,000/- रुपये में विक्रय कर रहा है, जिसकी पुष्टि उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या में भी की गयी है। विक्रय के पश्चात् आवेदक के पास 3.425 हे० भूमि शेष बच रही है, जो निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या एवं उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-98(1) ग व उ०प्र० राजस्व संहिता 2016 के नियम 99(8) ग, घ व ङ के अधीन श्री रामेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी बी-1/81 सेक्टर डी, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, जिला लखनऊ को ग्राम पुरसेनी परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 1250 रकबा 0.126 हे०, गाटा संख्या 1257 रकबा 0.152 हे०, गाटा संख्या 1260 रकबा 0.228 हे०, गाटा संख्या 1271 रकबा 0.278 हे०, गाटा संख्या 1275 रकबा 1.138 हे०, गाटा संख्या 1276 रकबा 0.126 हे०, 1277 रकबा 0.021 हे० व गाटा संख्या 1578 रकबा 0.379 हे० कुल 8 किता रकबा 2.448 हे० का 1/8 अंश रकबा 0.306 हे० भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति श्री एन.जी.के. इन्फ्रावेन्चर प्रा.लि. द्वारा निदेशक गौश्वदीप सिंह पुत्र गुरुबचन सिंह कार्यालय पता सेक्टर 11बी, निकट पानी की टंकी, वृन्दावन योजना, रामचरली रोड, लखनऊ, निवासी बरौली, खलीलाबाद, पोस्ट उत्तरठिया, परगना बिजनीर, तहसील रामोजनीनगर, जिला लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।



*(Handwritten signature)*



1. विक्रीत भूमि के स्वत्व / कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो तत्कम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8(ड) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार उ०प्र० राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंकमणीय श्रेणी संकमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।
4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री रामेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी बी-1/81 सेक्टर डी, एन.डी.ए. कालोनी, जिला लखनऊ/तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ/उपनिबंधक तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

21/12/18

(अनिल कुमार)  
अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/  
अपर कलेक्टर, लखनऊ।  
21.12.2018

आज दिनांक 21.12.2018 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।



34/12/18  
अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/  
अपर कलेक्टर, लखनऊ।

21/12/18

(अनिल कुमार)  
अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/  
अपर कलेक्टर, लखनऊ।  
21.12.2018

21/12/2018  
अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/  
अपर कलेक्टर, लखनऊ।





### उद्घरण खतौनी

ग्राम क्रमंक : 143686 ग्राम का नाम / पुराना : पुरसेनी (मोहनलालगंज)

तहसील : मोहनलालगंज

जनपद : लखनऊ

फसली वर्ष : 1421-1426

भाग : 1

उद्घरण क्रमंक : 1436862019012082

खता खतौनी संख्या  
खतौनी संख्या  
खतौनी संख्या  
खतौनी संख्या

भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष

खतौनी के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या

प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)

खतौदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान

परिवर्तन सम्बन्धी अज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा लिफ्ट संहिता और अज्ञा देने वाले अधिकारी का पद

दिप्पणी

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो

00329 प्रवेश कुमार / पी. नाथ / नि. 502 स्वास्थ्य विहारअपार्ट

विकास मार्ग दिल्ली

तलिका मिश्रा / प्रवेश मिश्रा / नि. बी 5 बटलर पैलेस कार्लोनी लखनऊ

प्रदीप कुमार / पी. नाथ / नि. दिल्ली

श्रीमती जीन सिंह / पत्नी स्व महेन्द्र बल्खा सिंह / नि. सरोजनी नाथू मार्ग गोपाल खेडा हाउस

मयक कुमार सिंह / रामेश्वर दयाल सिंह / नि. बी 1/81 डी से. एलडीए कानपुर रोड लखनऊ

रामआसरे / रामकृष्ण / नि. पुरसेनी

सुशीला देवी / मोहनलाल / नि. पुरसेनी

रामरती पुरी / हुबलाल / नि. पुरसेनी

सरस्वती / रामआसरे / नि. पुरसेनी

शारदा देवी पुरी / सुतायम सिंह / नि. पुरसेनी

प्रेम सुन्दरी पत्नी / अशोक कुमार / नि. चिरइया बाग उत्तरठिया महादेव प्रसाद / महावीर / नि. चिरइया बाग उत्तरठिया निर्भला देवी / जी. एन. यादव / नि. तेजीबाग लखनऊ

श्रीमती तलिका / प्रवेश / नि. 502स्वास्थ्यविहारअपार्ट

1396फ.	1250	0.1260	1415फ./ अदेश तह.मोहनलालगंज वार संख्या 1005/06-07 ता.फै. 7.4.07 ग्राम पुरसेनी की खतौनी सन 1409-1414फ.के खता संख्या 234 की गाटा संख्या 1250/0.126 , 1257/0.152 , 1260/0.228 , 1264फ /27.401 , 1275/1.138 , 1276/0.126 , 1277क/0.021 , 1578/0.379
1396फ.	12257	0.1520	
1396फ.	1260	0.2280	
1396फ.	1264क	27.4010	
1396फ.	1271	0.2780	
1396फ.	1275	1.1380	
1396फ.	1276	0.1260	
1396फ.	1277क	0.0210	
1396फ.	1578	0.3790	

भा.गु. 60ख के बकदर भाग विन्नेला के अज्ञा से रकबा 6.829से श्रीमती जीन सिंह पत्नी स्व.महेन्द्रबल्खा सिंह नि.गोपाल खेडा मजरा पुरसेनी का नाम पृथक कर गौरवदीप सिंह पुत्र गुरुबचन सिंह नि.गोपाल खेडा (पुरसेनी) प्रवर्जित करे पुरी जगजीत सिंह नि.जीवन गौंल बरला जिला गुरुदासपुर पंजाब का नाम बकौरे

सं.भू.द्वारा बैनामा दिनांक 23.2.07 अंकित होशेष रखने पर अन्य खतौदार के साथ विन्नेला का नाम पूर्ववत अंकित रहेगा।र.का./1.8.08

1416फ./आ.ना.तह.मोहनलालगंज दि.23.9.08 द्वारा फक 23 खता सं.286 पर रामरती पत्नी हुबलाल के स्थान पर रामरती पत्नी हुबलाल दर्ज किया जाया।र.का./4.10.08

1417फ./आ.प्राशांत तह.मोहनलालगंज लखनऊ वार सं.183209-10/25.5.10 माननीय उच्च न्यायालय के



सं.1832109-10/25.5.10 मामनीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3.2.10 के अनुपालन में उपनिष्ठाधिकारी मोहनलालगंज का आदेश दि. 21.3.2005 व तहसीलदार का आदेश दि.3.7.09 स्थगित हो गया है जिससे पूर्व पारित आदेश दि.

22.7.2003 जो तहसीलदार द्वारा पारित किया गया है, स्वतः लागू हो जाता है। अतएव मेरे फ़ौजदारी द्वारा पारित आदेश दि.22.7.2003 बहाल किया जाता है। सं.का./4.6.10

1419फ./उपनिष्ठाधिकारी महोदय के आदेश दि.16.7.11 व तहसीलदार महोदय के आदेश दि.16.7.11के अनुपालन में मामनीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ रिट निरीक्षण सं.514/2010के द्वारा पारित आदेश दि. 22.7.10-1st has been revised.none appears on behalf of the petitioners.the writ

petition is dismissed for want of prosecution .interim order if any stands vacated दर्ज हो।(द्वारा प्रार्थना पत्र रामअसरे ) सं.का./18.7.11

1419फ./आ.ना.तह. मोहनलालगंज दि. 19.9.11 द्वारा प्रार्थना पत्र रामपती खता सं. 286 पर रामपती पत्नी हबलाल पक 23 तद. 23.9.08 में दर्ज रामपती पत्नी हबलाल के स्थान पर रामपती पत्नी हबलाल दर्ज किया जाया। सं.का./19.9.11

1420फ./आ.तह.मोहनलालगंज वाद सं.3148/ 23.7.12खता सं.286गाटा सं.1264क/27.401 में से 0.633अपना सम्पूर्ण अंश मा.गु.60ख से विक्रेतनी जीन् सिंह पत्नी महेन्द्र बाबू सिंह नि.गोपाल खेड़ा म.पुसेनी हवाल नि.बी.53गुड्ड शशान्त लोक -1हरियाना का नाम निस्सत करके रेंना करील

वी.एस.राना पुत्र स्व.एम.डी.राना नि.52सुपाना किला सरत लखनऊ का नाम बतौर सं.श.द्वारा कैनामा अंकित हो। सं.का./4.8.12



1421फ./अ.त.मोहनलालगंज बाद स.38228/ 9.9.13  
खाला स.286 गाटा स.1250/0.126,  
1257/0.152,1260/0.228,1264क /27.401,  
1271/0.278,1275/1.138,1276/0.126,  
1277क /0.021,1578/0.379 कुल 29.489हे. में  
से 0.506हे. में से रकबा 0.253हे. से बिकेता

महादेव प्रसाद पुत्र महावीर नि.बिंयाबाग उतरठिया लखनऊ  
का नाम खारिज करके केता सरस्वती देवी पुत्री स्व.रामअसरे  
पुत्री स्व.अनन्त कुमार नि.पुरसेनी का नाम जरिये बैनामा दर्ज  
हो। ह.र.का./25.10.13

शाखा प्रबन्धक बैंक आफ इण्डिया शाखा मोहनलालगंजके पत्र  
दि.31.5.14 से खाला स.329,526 से खातेदार रामअसरे  
पुत्र रामकृष्ण नि.ग्राम के हिस्से की भूमि बन्धक की जाती  
है। ह.र.का./1.11.14

शाखा प्रबन्धक बैंक आफ इण्डिया शाखा मोहनलालगंज के पत्र  
दि.24.2.16 खाला स.791,329 के खातेदार सरस्वती  
पुत्री अनन्त कुमार नि.ग्राम के हिस्से की भूमि बन्धक की जाती  
है। ह.र.का./26.2.16

शाखा प्रबन्धक बैंक आफ इण्डिया शाखा मोहनलालगंज के पत्र  
दि.15.3.16 पर तहसीलदार मोहनलालगंज के आदेश  
दि.19.3.16के क्रम में ग्राम पुरसेनी की खाला स.329के  
खातेदार श्रीमती सरस्वती देवी की भूमि बन्धक से मुक्त की  
जाती है। ह.र.का./19.3.16

शाखा प्रबन्धक बैंक आफ इण्डिया शाखा मोहनलालगंज के पत्र  
दि.15.3.16 पर तहसीलदार मोहनलालगंज के आदेश  
दि.19.3.16के क्रम में ग्राम पुरसेनी की खाला स.329के  
खातेदार रामअसरे पुत्र रामकृष्ण की भूमि बन्धक से मुक्त की  
जाती है। ह.र.का./19.3.16

आदेश राजस्व निरीक्षक मोहनलालगंज द्वारा पत्र 11ख  
दि.30.1.17 खाला स.329,755,904 से मुक्त श्रीमती  
सुशीला के स्थान पर शैलेन्द्र कुमार व सलिल सिंह पुराणा  
नौमीलाल व कु.सविता पुत्री नौमीलाल नि.ग्राम का नाम बतौर  
वारिस दर्ज हो। ह.र.का./31.1.17



अदेश मोहनलालगंज वरद  
 सं.टी-20161046390312377/16.12.16 खला  
 सं.329 गाटा सं.1250/0.126.1257/0.152.1260  
 /0.228.1264का/27.401.1271/0.278.1275  
 /1.138.1276/0.126.1277का/0.021.1578  
 /0.379 कुल 9किला रकबा 29.849हे. मा.यु.60ख से  
 दानकर्ता प्रदीप मिश्रा उर्फ प्रदीप पुत्र श्री पी.नाथ उर्फ प्रभू नाथ  
 मिश्रा नि.साधिका फार्मस, पार्क लेन,माल रोड, डी.3 ब्लक  
 के पीछे बसन्तकुन्ज नई दिल्ली का नाम खारिज करके  
 दानगृहीता प्रोशा मिश्रा पुत्र श्री पी.नाथ उर्फ प्रभू नाथ मिश्रा  
 नि.शी.1/19 विश्वास खाण्ड गोभरीनगर लखनऊ का नाम  
 स.भू. द्वारा दानपत्र दिनांक 27.10.2016 दर्ज  
 हो.ह.र.का./12.4.17

अदेश तरसीलदार मोहनलालगंज वरद सं.टी-  
 2017104639039874/6.12.17 खला सं.329  
 गाटा सं.1250/0.126हे., 12257/0.152हे.,  
 1260/0.2280हे., 1264का/27.401हे.,  
 1271/0.278हे., 1275/1.138हे.,  
 1276/0.126हे., 1277का/0.021हे. व  
 1578/0.379हे. कुल 9 किला रकबा 29.849हे. मे से  
 रकबा 3.741हे. विक्रेता का सम्पूर्ण अंश मा.यु.60ख विक्रेता  
 मयंक कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल सिंह नि.बी-1/81  
 सेक्टर डी एल.डी. ए. कालोनी कानपुर रोड लखनऊ का नाम  
 निरस्त करके केला एम.जी.के इन्फोवेन्चर्स प्रा.लि द्वारा निदेशक  
 गौरवदीप सिंह पुत्र गुरबचन सिंह कार्यालय पता सेक्टर-11 बी  
 निकट पानी की टंकी, वृन्दावन योजना, रायबोली रोड लखनऊ  
 नि.बोली खलीलाबाद पोस्ट उत्तरधिया पर लिजनेर तहसील  
 सरोजनीनगर बिला लखनऊ का नाम जरिये बैनामा  
 दि.12.10.17 अंकित हो.ह.र.का./7.12.17

अदेश न्यायालय अगिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी  
 मोहनलालगंज लखनऊ वरद सं.  
 टी201810460300424/17-18  
 ता.कै.16.1.2018 अर्न्तगत धारा 80 उ.प. राजस्व संहिता  
 2006 एम.जी.के.इन्फोवेन्चर्स प्रा.लि. बनाम सरकार ग्राम  
 गुरसेनी स्थित वादीय खला सं.329 की गाटा  
 सं.1250/0.126हे., 1257/0.152हे.,  
 1260/0.228हे., 1264का/27.401हे.,  
 1271/0.278हे., 1275/1.138हे. व



1276/0.126हे., 1277का/0.021हे. व  
1578/0.379हे. कुल 9 किलो रकबा 29.849हे. मे से  
रकबा 3.741हे. को मा.गु.60ख से मुक्त करते हुये प्रस्ताव  
भूमि (अकृषिक) घोषित की जाती है।ह.र.का/16.1.18

आदेश न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी  
मोहनलालगंज लखनऊ वाद सं.टी-  
201810460303142/19.3.18 गौवदीप सिंह बनाम  
सरकार अर्न्तगत धारा-80 उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 ग्राम  
पुरसेनी वादीय भूमि खला सं.329 की गाटा  
सं.1264का/27.4010हे. के 1/4 भाग 6.850हे. का  
जुब भाग रकबा 0.5060हे. स्थित ग्राम पुरसेनी प. व  
तह.मोहनलालगंज लखनऊ को मा.गु.60ख से मुक्त करते हुये  
प्रस्ताव भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की  
भूमि(अकृषिक) घोषित किया जाता है।ह.र.का/19.3.18

शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहनलालगंज के पत्र  
दि.12.4.18 खला सं.329 के खातेदार शारदा देवी पत्नी  
रामेश्वर प्रसाद नि.ग्राम के हिस्से की भूमि बन्धक की जाती  
है।ह.र.का/12.4.18

आदेश ना.तह.निर्गोहा दिनांक 18.5.18 के अनुपालन मे  
आदेश तह.मोहनलालगंज वाद स.671/24.3.1999 गाटा  
स.1250/0-10-0.1257/0-12-0,1260  
/0-18-0,1264का/108-6-14,1271

/1-2-0,1275/4-10-0,1276/0-10-0,1277क  
/0-1-13 व 1578/1-10-0 मा.गु.60ख के बकदार भाग  
के खातेदार वन्दना अग्रवाल पत्नी श्री अनन्द अग्रवाल  
नि.38ए कृष्णानगर शहर लखनऊ का नाम खारिज करके  
केला परामेन्द कुमार सिंह पुत्र श्री रामेश्वर दयाल सिंह  
नि.बी-1/81 सेक्टर डी एल.डी.ए.कालोनी कापुरा रोड  
लखनऊ का नाम जारिये बैनामा दिनांक 18.6.97 दर्ज हो।  
ह.र.का/31.3.1999


आदेश न्यायालय तहसीलदार मोहनलालगंज वाद  
सं.टी-201810460303431 दिनांक 17.5.18,  
रामेन्द सिंह बनाम वन्दना अग्रवाल अर्न्तगत धारा 201  
अधिनियम उ.प्र.राजस्व अधिनियम 1901, न्यायालय द्वारा  
पारित आदेश दिनांक 25.5.2010 यथावत रखा जाता है।  
उक्त आदेश मा.उच्च न्यायालय मे घोषित वाद Misc



single n.514 of 2010 रोज़ेड सिद्ध आदि बन्नाम सरकार के क्रम मे है तथा यह आदेश उक्त वाद मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अर्धीन रहेगा।  
ह.र.का/19.5.18

आदेश ना.वह.मिाहा दिनांक 18.5.18 के अनुपालन मे आदेश न्ह.मोहनलालगंज वाद स.667/24.3.1999 गजल स.1250/0-10-0,1257/0-12-0,1260 /0-18-0,1264का/108-6-14,1271 /1-2-0,1275/4-10-0,1276/0-10-0,1277क /0-1-13 व 1578/1-10-0 मा.रु.60ख के बकनर भगा के खतिदर संजय च्छा पुत्र जे.सी.चुडा मि.सी.28 कैन्ट रोड शहर लखनऊ का नाम खारिज करके केला रोज़ेड कुमार सिंह पुत्र श्री रामेश्वर दयाल सिंह मि.बी-1/81 सेक्टर डी एल.डी.ए.कालोनी कानपुर रोड लखनऊ का नाम जरिये बेनामा दि.13.6.97 दर्ज हो। ह.र.का/31.3.1999

शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहनलालगंज के पत्र दि.14.11.18 खला सं.329,791 के खतिदर शाहदा देवी पत्नी रामेश्वर प्रसाद मि.ग्राम के हिस्से की भीषी बन्धक की जाती है। ह.र.का/16.11.18

कुल गाटे- नौ	कुल क्षेत्रफल- दो नौ दशमलव आठ चार नौ शून्य (द्विदशम)	कुल भू-राजस्व - एक चार छः पाँच दशमलव नौ शून्य रुपये	9	29,8490	₹ 1465.90	27	0
Data Digitally Signed by: BRLU KISHOR							
<p>उपरोक्त अरपण खतौनी का वेबसिकेशन <a href="http://upbhulekh.gov.in">http://upbhulekh.gov.in</a> Website पर जाकर किया जा सकता है।</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>सक्षम अधिकारी: KULDEEP                      तहसील: मोहनलालगंज बन्धक: लखनऊ                      दिनांक एवं समय: 02-05-2019 01:17:26                      * यह अरपण खतौनी प्रत्येकृतिक डिजिटली सिग्नेचर द्वारा किया गया है।</p>							



न्यायालय अपर जिलाधिकारी (ट्रांस गोमती) / अपर कलेक्टर, लखनऊ

वाद संख्या डी-201810460013548  
रामेन्द्र कुमार सिंह बनाम उ०प्र० सरकार  
अन्तर्गत धारा-98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता।

### संशोधित आदेश

श्री रामेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी बी-1/81 सेक्टर डी, एल.डी.ए. कालोनी, जिला लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र दि० 20.05.2019 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसे अपनी भूमि अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय करने हेतु न्यायालय अपर जिलाधिकारी (ट्रांस गोमती) / अपर कलेक्टर, लखनऊ द्वारा वाद सं० डी-201810460013548, रामेन्द्र कुमार सिंह बनाम उ०प्र० सरकार अन्तर्गत धारा -98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता में आदेश दि० 21.12.2018 पारित किया गया है किन्तु क्रेता की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण प्रश्नगत भूमि का विक्रय नहीं हो पाया और अब भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित होना है। अतः प्रश्नगत भूमि विक्रय अनुमति का समय बढ़ाये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रश्नगत वाद प्रकरण में यह आदेश पारित किया गया था कि श्री रामेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी बी-1/81 सेक्टर डी, एल.डी.ए. कालोनी, जिला लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि भवन निर्माण एवं भूमि क्रय करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर०सी० प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या प्राप्त होने पर जिलाधिकारी/कलेक्टर, लखनऊ के न्यायालय में वाद संस्थित होकर इस न्यायालय में गुणदोष के आधार पर निस्तारण करने हेतु स्थानान्तरित किया गया।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। इस संबंध में उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से आख्या संस्तुति सहित प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ ने अपनी जाँच आख्या में अवगत कराया है कि विक्रीत भूमि का जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार बाजार मूल्य रू० 26,92,800/- (छब्बीस लाख बान्नेवें हजार आठ सौ रूपये मात्र) होती है, जिसकी प्रतिफल की धनराशि रू० 50,00,000/- अंकित की गयी है। विक्रेता द्वारा प्रश्नगत विक्रीत भूमि की प्रतिफल धनराशि रू० 50,00,000/- क्रेता से प्राप्त किए जाने और क्रेता द्वारा प्रश्नगत भूमि का रू०

11



50,00,000/- प्रतिफल की धनराशि विक्रेता को भुगतान किए जाने की बात अपने-अपने बयान में भी पुष्टि की है। विक्रेता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बयान में यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि रू 50,00,000/-रूपये में विक्रय कर रहा है, जिसकी पुष्टि उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या में भी की गयी है। विक्रय के पश्चात् आवेदक के पास 3.425 हे० भूमि शेष बच रही है, जो निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या एवं उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा- 98(1)ग व उ०प्र० राजस्व संहिता 2016 के नियम 99(8)ग,घ व ड के अधीन श्री रामेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी बी-1/81 सेक्टर डी, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, जिला लखनऊ को ग्राम पुरसेनी परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 1250 रकबा 0.126हे०, गाटा संख्या 1257 रकबा 0.152हे०, गाटा संख्या 1260 रकबा 0.228हे०, गाटा संख्या 1271 रकबा 0.278हे०, गाटा संख्या 1275 रकबा 1.138हे०, गाटा संख्या 1276 रकबा 0.126हे०, 1277क रकबा 0.021हे० व गाटा संख्या 1578 रकबा 0.379हे० कुल 8 किता रकबा 2.448हे० का 1/8 अंश रकबा 0.306हे० भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति श्री एन.जी.के. इन्फ्रावेन्चर प्रा.लि. द्वारा निदेशक गौरवदीप सिंह पुत्र गुरुबचन सिंह कार्यालय पता सेक्टर 11बी, निकट पानी की टंकी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ, निवासी बरौली, खलीलाबाद, पोस्ट उत्तरठिया, परगना विजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसकी समयावधि निम्न शर्तों के अनुसार बढ़ायी जाती है।


1. विक्रीत भूमि के स्वत्व /कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो तत्कम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8(ड) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार उ०प्र० राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।



3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंकमणीय श्रेणी संकमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री रामेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी बी-1/81 सेक्टर डी, एल.डी.ए. कालोनी, जिला लखनऊ/तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ/उपनिबंधक तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

  
31/5/19.


(अनिल कुमार)

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

31.05.2019

आज दिनांक 31.05.2019 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।

  
31/5/19

(अनिल कुमार)

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

31.05.2019



न्यायालय अपर जिलाधिकारी (ट्रांस गोमती) / अपर कलेक्टर, लखनऊ


वाद संख्या डी-201810460013545  
रामेन्द्र कुमार सिंह बनाम उ०प्र० सरकार  
अन्तर्गत धारा-98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता।

संशोधित आदेश

श्री रामेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी बी-1/81 सेक्टर डी, एल.डी.ए. कालोनी, जिला लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र दि० 20.05.2019 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उसे अपनी भूमि अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय करने हेतु न्यायालय अपर जिलाधिकारी (ट्रांस गोमती) / अपर कलेक्टर, लखनऊ द्वारा वाद सं० डी-201810460013545, रामेन्द्र कुमार सिंह बनाम उ०प्र० सरकार अन्तर्गत धारा -98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता में आदेश दि० 21.12.2018 पारित किया गया है किन्तु क्रेता की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण प्रश्नगत भूमि का विक्रय नहीं हो पाया और अब भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित होना है। अतः प्रश्नगत भूमि विक्रय अनुमति का समय बढ़ाये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रश्नगत वाद प्रकरण में यह आदेश पारित किया गया था कि श्री रामेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी बी-1/81 सेक्टर डी, एल.डी.ए. कालोनी, जिला लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को भूमि विक्रय करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर०सी० प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या प्राप्त होने पर जिलाधिकारी / कलेक्टर, लखनऊ के न्यायालय में वाद संस्थित होकर इस न्यायालय में गुणदोष के आधार पर निस्तारण करने हेतु स्थानान्तरित किया गया।

पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। इस संबंध में उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ से आख्या संस्तुति सहित प्राप्त की गयी। उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ ने अपनी जाँच आख्या में अवगत कराया है कि विक्रीत भूमि का जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार बाजार मूल्य रू० 3,01,40,000/- (तीन करोड़ एक लाख चालिस हजार रुपये मात्र) होती है, जिसकी प्रतिफल की धनराशि रू० 5,50,00,000/- अंकित की गयी है। विक्रेता द्वारा प्रश्नगत विक्रीत भूमि की प्रतिफल धनराशि रू० 5,50,00,000/- क्रेता से प्राप्त किए जाने और क्रेता द्वारा प्रश्नगत भूमि का रू० 5,50,00,000/- प्रतिफल की धनराशि विक्रेता को भुगतान किए जाने की बात अपने-अपने बयान में भी





पुष्ट की है। विक्रेता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं बयान में यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि ₹0 5,50,00,000/- रुपये में विक्रय कर रहा है, जिसकी पुष्टि उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या में भी की गयी है। विक्रेता द्वारा अन्यत्र भूमि कय किए जाने का अनुबन्ध पत्र पत्रावली में संलग्न किया है।

उपजिलाधिकारी, मोहनलालगंज लखनऊ की आख्या एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा- 98(1)ग व उ0प्र0 राजस्व संहिता 2016 के नियम 99(8)ग व ड के अधीन श्री रामेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी बी-1/81, सेक्टर डी, एल.डी.ए. कालोनी कानपुर रोड जिला लखनऊ को ग्राम पुरसेनी परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 1264क रकबा 27.401हे0 का 1/8 भाग रकबा 3.425हे0 भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति एन.जी.के. इन्फ्रावेन्चर प्रा.लि. द्वारा निदेशक गौरवदीप सिंह पुत्र गुरुबचन सिंह कार्यालय पता सेक्टर 11बी, निकट पानी की टंकी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ, निवासी बरौली, खलीलाबाद, पोस्ट उत्तरठिया, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसकी समयावधि निम्न शर्तों के अनुसार बढ़ायी जाती है।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व /कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो तत्कम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8(ड) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार उ0प्र0 राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंकमणीय श्रेणी संकमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित



किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री रामेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी बी-1/81, सेक्टर डी, एल.डी.ए. कालोनी कानपुर रोड जिला लखनऊ /तहसीलदार मोहनलालगंज /उपनिबंधक तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

(अनिल कुमार)

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/  
अपर कलेक्टर, लखनऊ।

31.05.2019

आज दिनांक 31.05.2019 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।

(अनिल कुमार)

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/  
अपर कलेक्टर, लखनऊ।

31.05.2019

